

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री जवाहरलाल जैन आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 11/2021 वादपत्र धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट. 1955

- 1- सागरमल पिता जीतमल टांक(कलाल) नि. पिण्ड तह. बड़ीसादड़ी
 - 2- मदनलाल पिता जीतमल टांक(कलाल) नि. पिण्ड तह. बड़ीसादड़ी
 - 3- किशनलाल पिता जीतमल टांक(कलाल) नि. पिण्ड तह. बड़ीसादड़ी
 - 4- रमेशचन्द्र पिता जीतमल टांक(कलाल) नि. पिण्ड तह. बड़ीसादड़ी
 - 5- राकेश पिता जीतमल टांक(कलाल) नि. पिण्ड तह. बड़ीसादड़ी
- वादीगण

॥ बनाम ॥

- 1- जीतमल पिता फूलचंद टांक(कलाल) नि. पिण्ड तह. बड़ीसादड़ी
 - 2- मैनेजर चित्तौड़गढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बड़ीसादड़ी
 - 3- तहसीलदार बड़ीसादड़ी
- प्रतिवादीगण

वादी की ओर से वकील डी.के. वैष्णव तथा प्रतिवादी की ओर से वकील राहूल मेहता की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा जंगपुरा में स्थित खाता सं. 48 की आराजी नं. 56 मी., 57, 73, 74 कुल किता 4 कुल रकबा 2.9100 हैक्ट. व मौजा पिण्ड की खाता सं. 305 की आराजी नं. 102, 881, 886 मी., 887, 893, 910, 912 कुल किता 7 कुल रकबा 5.4700 हैक्ट. में वादीगण का प्रत्येक का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 का 1/6 हिस्सा तथा मौजा पिण्ड में स्थित खाता सं. 222 की आ.नं. 888, 911 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1600 हैक्ट. में वादीगण का प्रत्येक का 1/12 व प्रतिवादी सं. 1 का 1/12 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। शेष हिस्सा व रहन बदस्तूर रखा जावे। इस वाद के खर्चे..... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित..... को दी जावे। यह आज दिनांक 22-3-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

(जवाहरलाल जैन)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2021/43

दिनांक : 22.3.21

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।



(जवाहरलाल जैन)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी